

केंद्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगानाथ मार्ग, मुनिरका,
नई दिल्ली - ११००६७.

File No. CICOM/R/2017/01320

16.11.2017

श्री विजय तारु पवार

विषय: आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना।

महोदय,

अपने आरटीआई दिनांक 21.10.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करे. जानकारी निम्नानुसार दी गई है:

आपका पत्र दिनांकित 8.9.2017 दूसरी अपील या शिकायत नहीं है इसलिए आपके पत्र पर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं था. कृपया ध्यान दें कि केंद्रीय सूचना आयोग केन्द्रीय सरकार के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ दायर आरटीआई आवेदन के लिए द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण है। आप को यह सूचित किया जाता है की केंद्रीय सूचना आयोग आप कि पत्र पर कोई कार्यवारी नहीं ले जा सकती है. यदि आप किसी आर टी आई के विरुद्ध द्वितीय अपील या शिकायत करना चाहते है तो , आप आर टी आई रूल्स 2012 के अनुसार अपील/ शिकायत इस आयोग में दायर कर सकते है.

श्री राकेश कुमार सिंह इस कमीशन के प्रथम अपीलीय अधिकारी है.

(टी के महापात्रा)
CPIO/ DS (CR II)